संख्या-2/2022/232/44-2-2022

प्रेषक,

के0एल0वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 11 मार्च, 2022

विषयः-विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/स्थानीय निकायों,शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में प्राइवेट सेक्योरिटी गार्डस के स्थान पर उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बद्ध पूर्व सैनिकों की अनिवार्य रूप से तैनाती किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सार्वजनिक उद्यम विभाग के पत्रांक-602/44-2-09 दिनांक 06 नवम्बर,2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें,जिसमें सभी संस्थाओं/निगमों/प्रतिष्ठानों एवं उद्यमों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सुरक्षा कर्मियों की सेवायें अनिवार्य रूप से प्राप्त करनें के निर्देश दिये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के पत्रांक 11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 एवं कार्मिक विभाग के पत्रांक-8/2019/20/1/91-का-2/2019 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर) के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम की व्यवस्था लागू की गयी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिनस्थ संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
के0एल0वर्मा
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in